

बांस उपचार प्रकार

1. उपचार प्रकार- I:- (व्यापारिक विदोहन हेतु)

सम्मिलित क्षेत्र:- इस उपचार में सभी स्थल गुणवत्ता (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) वर्ग के सघन एवं अच्छे बांस भिरों वाला क्षेत्र शामिल होंगे। इस उपचार में वृक्षारोपण क्षेत्र एवं बिरले बांस वन क्षेत्र भी सम्मिलित किये जा सकते हैं, बशर्ते उनके भिरों की स्थिति अच्छी हो जैसा कि बिन्दु क्रमांक 1.4 में वर्णित है।

उपचार कार्य:- इन क्षेत्रों में स्थल गुणवत्ता बिन्दु क्रमांक 1.2 एवं 1.10 के अनुसार कम से कम बांस को छोड़ते हुए अन्य बांस कटाई के मानक उपचार नियम पृष्ठ-7 बिन्दु क्रमांक 3.1 के अनुसार निकाले जाएंगे। अर्थात् इस उपचार प्रकार में स्थल गुणवत्ता के आधार पर वर्ग-I,II,III में क्रमशः 20,15 एवं 10 बांस रोक कर कटाई का कार्य किया जसएगा तथा भिरों का उपचार भी कार्य आयोजना के निर्देशों एवं समय समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

विशेष:- पैरा क्रमांक 1.2 एवं 1.10 द्वारा निर्धारित संख्या से कम बांस भिरों में पाये जाने पर प्रत्येक भिरों में केवल वन वर्धनिक कार्य करवाया जायेगा।

यदि 20 प्रतिशत से कम भिरों बिगड़ी हुई हालत में पाये जाते हैं, तो भी पूरा कूप उत्पादन कार्य हेतु प्रस्तावित किया जावेगा एवं विदाहन कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन 20 प्रतिशत से कम भिरों में सामान्य वन मंडल द्वारा कार्य आयोजना अनुसार आर.डी.बी.एफ. के तहत भिरों के उपचार का कार्य किया जावेगा।

2.2 उपचार प्रकार- II (सामान्य एवं वन वर्धनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु)

सम्मिलित क्षेत्र:- इस उपचार में सभी स्थल गुणवत्ता (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) वर्ग के सघन परन्तु बिगड़ी हालत के भिरों वाला क्षेत्र जैसा कि बिन्दु क्रमांक 1.4 में वर्णित है। क्षतिग्रस्त गुथा हुआ, सकुल भिरों वाला, कटेपिटे तथा बुरी तरह से जले बांस वनों एवं वृक्षारोपण का क्षेत्र इसमें शामिल किया जायेगा।

उपचार कार्य:- उपचार प्रकार- II में मुख्यतः बिगड़े बांसों का सुधार कार्य किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता के भिरों से बांस के विदाहन का कार्य किया जावेगा। शेष भिरों में आर.डी.बी.एफ. के कार्य हेतु इस संदर्भ में कार्य आयोजना तथा समय-समय पर विकास शाखा द्वारा निर्देशित बिगड़े बांस वनों में संपादित किये जाने वाले कार्यों को भी पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस उपचार प्रकार में इन क्षेत्रों में स्थल गुणवत्ता (बिन्दु क्रमांक 1.2 एवं 1.10) के अनुसार कम से कम बांस एवं अन्य बांस कटाई के मानक उपचार नियम पृष्ठ-7 के अनुसार निकाले जाएंगे।

- ❖ सभी मृत, अति परिपक्व, जले, टूटे, एवं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त बांस की कटाई की जायेगी।
- ❖ यदि आवश्यक हो तो भिरों के आकार को बनाये रखने हेतु 2.25 मीटर तक या अधिक ऊंचाई के टूटे एवं कटे बांस रोके जा सकेंगे।
- ❖ RDBF/बिगड़े बांस भिरों के सुधान हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

विशेष: विदोहन कार्य पूर्ण होने के पश्चात कूप के बिगड़े बांस भिरों में कार्य आयोजना अनुसार RDBF के तहत कार्यवाही सामान्य वन मंडल द्वारा की जावेगी।

2.3 उपचार प्रकार- III:- (सुरक्षा एवं संवर्धन)

सम्मिलित क्षेत्र: इस उपचार में सभी स्थल गुणवत्ता (प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय) वर्ग के अत्यंत बिगड़े हुए दूर-दूर बिखरे

एवं गुथे हुऐ बांस भिर्रे वारे विरल क्षेत्र जैसा कि बिन्दु क्रमांक 1.4 में वर्णित है । यदि कोई भिर्रा अच्छी हालात में हो एवं स्वस्थ हो तो उसमें भिर्रो का उपचार प्रकार- I में दर्शायी गयी पद्धति के अनुरूप होगा ।

उपचार कार्य:-शेष समस्त क्षेत्र में इस उपचार के अंतर्गत मुख्यतः सुरक्षा एवं वन वर्धनिक (Cultural) कार्य ही किये जाएँगे । यदि बजट तथा कार्य आयोजना के अंतर्गत संभव हो तो ऐसे क्षेत्रों को बांस की संख्या में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण कार्य किया जावे । बांस भिर्रो में आर.डी.बी.एफ. के अंतर्गत जल एवं मृदा संवर्धन का कार्य संपादित किया जावे ।

उपरोक्त संदर्भ में कार्य आयोजना तथा समय-समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार बिगड़े बांस वनों के सुधार की कार्यवाही की जावेगी ।